न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00371RAAJodhpur2019-197RTA225 Jogaram ors Vs Anopchand etc

01. जोगाराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट, निवासी- ग्राम गुमाननगर नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
02. देवाराम पुत्र ठाकरराम
03. मगाराम् पुत्र ठाकरराम
04. जबराराम पुत्र ठाकरराम
05. सांवतराम पुत्र किरताराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम भेड़, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
06. भोजाराम पुत्र किरताराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम गुमाननगर नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
07. जगदीश कुमार पुत्र भैराराम
08. मिरगा देवी पत्नी भैराराम
09. मीरा देवी पत्नी किरताराम
10. बगताराम पुत्र दुर्गाराम
जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम भेड़, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
11. सुरेश कुमार पुत्र देवाराम(फौत)
12. भंवरी पत्नी देवाराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम गुमाननगर नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
13. मगाराम पुत्र गमुराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम भेड़, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
14. ओमाराम पुत्र गमुराम जाति जाट, निवासी- ग्राम गुमाननगर नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
15. खेराजराम पुत्र गमुराम
16. जमना देवी पत्नी गमुराम,
जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम गुमाननगर नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. अनोपचन्द पुत्र मोहनलाल
2. सुगनो देवी पत्नी मोहनलाल
3. अशोक पुत्र हुकमाराम
4. सुरेश पुत्र हुकमाराम
5. मुकेश पुत्र हुकमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. मीरा देवी पत्नी हुकमाराम
7. दीपक पुत्र चम्पालाल
8. भंवरी देवी पत्नी हुकमाराम
9. गणेशराम पुत्र नारायण राम
10. प्रेमचन्द पुत्र नारायणराम
11. अचलाराम पुत्र चुतराराम
12. सुरेश पुत्र जसराज
13. तुलछाराम पुत्र जसराज
14. रमेश पुत्र जसराज
15. मुली देवी पत्नी जसराज
16. डूंगरराम पुत्र बगताराम फौत के कायम मुकामः -
    16.1. चुकी पत्नी डूंगरराम
    16.2. गजेन्द्र पुत्र डुंगरराम
    16.3. मोतीलाल पुत्र डुंगरराम
    16.4. भोमाराम पुत्र डुंगरराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चुकी देवी
17. खुशालाराम पुत्र बगताराम
18. रावलराम पुत्र रेंवतराम
19. निम्बूराम पुत्र रेंवतराम
20. प्रेमाराम पुत्र रेंवतराम
21. हरीराम पुत्र भानाराम
22. किसनाराम पुत्र भानाराम
23. सुमेराराम पुत्र चैनाराम
24. पपुराम पुत्र चैनाराम
25. नेहपाल पुत्र चैनाराम

    सभी जातियान् ब्राहमण, निवासीगण- गुमानपुरा नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
26. देवीसिंह पुत्र नाथुसिंह
27. गंगासिंह पुत्र नाथुसिंह
28. मनोहरसिंह पुत्र नाथुसिंह
29. गणपतसिंह पुत्र नाथुसिंह
30. जैतसिंह पुत्र बुलीदान सिंह फौत के कायम मुकामः
    30.1. नारायणसिंह पुत्र जेतसिंह
    30.2. हेमसिंह पुत्र जेतसिंह
    30.3. छतरसिंह पुत्र जेतसिंह
    30.4. भानू सिंह पुत्र जेतसिंह
    30.5. अर्जुनसिंह पुत्र जेतसिंह
    30.6. शेरसिंह पुत्र जेतसिंह फौत के कायम मुकामः
        30.6.1. सवाईसिंह पुत्र शेरसिंह
        30.6.2. भोमसिंह पुत्र शेरसिंह
        30.6.3. रावलसिंह पुत्र शेरसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

31. हरीसिंह पुत्र उगमसिंह
32. हिम्मतसिंह पुत्र उगमसिंह
33. किशनसिंह पुत्र कल्याणसिंह
34. हडमानसिंह पुत्र कल्याणसिंह
35. गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
36. प्रेमसिंह पुत्र कल्याणसिंह
37. विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह
38. सुआ कंवर पत्नी कल्याणसिंह
    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- गुमानपुरा नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 अगस्त 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2017 अनोपचंद व अन्य बनाम जोगाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री घेवरराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15, 17 से 25 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 39

नि र्ण य

दिनांक : 07 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2017 अनोपचन्द व अन्य बनाम जोगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 अगस्त 2019 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पच्चीस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 664, 667, 659, 660 व 665 ग्राम गुमाननगर में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 653 एवं 645 में से रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 अगस्त 2019 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक से पच्चीस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर तामील हेतु भिजवाये गये सम्मन उनका सही पत्ता ग्राम भेड़ पर न भिजवाकर गलत पत्ते के आधार पर तामील करवाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का भी कोई आदेश भी नहीं दिया गया था, बिना किसी आदेश के पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी गई जो निरस्त योग्य है। वक्त मौका निरीक्षण न तो तहसीलदार मौके पर आये तथा न ही अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई। नियमानुसार धारा 251-ए के तहत विचाराधीन प्रकरणों में भू-अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का कार्मिक मौका रिपोर्ट बनाने हेतु सक्षम नहीं है। हस्तगत मामले में पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जो नियम विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खेत में जाने के लिए खसरा नं. 667 जो इनका खुद के खातेदारी का खेत है, जिसमें से रास्ता लगता है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता मौजूद होने से काननून धारा 251-ए के तहत नया रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। रेस्पोडेंट्स अपने आवागमन हेतु खसरा नं. 655, 654, 658 में से आवागमन करते है। उक्त खसरे इनके परिवार के सदस्यों के है। रेस्पोडेंट्स द्वारा इन खसरों में से रास्ते की मांग न कर अपीलांट्स को परेशान करने के लिए खसरा नं. 653 में से रास्ते की मांग की है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 11 सुरेश कुमार फौत हो गया था। मृतक अप्रार्थी के कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.12.2019 को मौके पर आकर हमारे खेत में से रास्ता निकालने के लिये कहा, तब हमने पटवारी हल्का से रास्ता निकालने का कारण पूछा, तब पटवारी हल्का द्वारा विचारण न्यायालय से रास्ते का आदेश पारित होने की जानकारी दी गई। तब अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल निकलवाने पर एकपक्षीय आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 01 अगस्त 2019 को निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के सम्मन उनके सही पत्ते पर भिजवाये जाकर सम्यक रूप से तामील नहीं करवाये जाने तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट 09.05.2018 अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि मौका फर्द में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 667 एवं 658 में सें उपलब्ध होना बताया है तथा वर्तमान में रेस्पोडेंट्स का उक्त रास्ते से ही आवागमन होना बताया गया है, किंतु मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ते के विकल्प को मय दूरी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की नियमानुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना तथा उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है जो अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2017 अनोपचन्द व अन्य बनाम जोगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 अगस्त 2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों बाबत उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05 मार्च 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर